

निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण प्रकरण संख्या : 166/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय- 4th फ्लोर, विनायक हाईट्स, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री उदल सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह,
पता:- प्लॉट नं. 1, देव नगर, धावास, जयपुर,
टीटीके हेल्थकेयर लिमिटेड, डीटीए-005, महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी, फेज-तृतीय, नियर जेसीबी, जयपुर
एवं फ्लेट नं. 3, ईडब्लूएस, द्वितीय तल, ब्लॉक एफ, अनुकंपा द्वारिका, खसरा संख्या 1407, 1408, 1413, 1414 बी, ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. श्रीमती पूजा कंवर पत्नी श्री उदल सिंह,
पता:- प्लॉट नं. 1, देव नगर, धावास, जयपुर
एवं फ्लेट नं. 3, ईडब्लूएस, द्वितीय तल, ब्लॉक एफ, अनुकंपा द्वारिका, खसरा संख्या 1407, 1408, 1413, 1414 बी, ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

उपस्थित :- श्री कुलदीप शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 10.09.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.04.2021 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती पूजा कंवर एवं श्री उदल सिंह के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नं. 3, ईडब्लूएस, द्वितीय तल, ब्लॉक एफ, अनुकंपा द्वारिका, खसरा संख्या 1407, 1408, 1413, 1414 बी, ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल कारपेट एरिया 246.70 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 05,18,553/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.05.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कार्यालय) जयपुर (ग्रामीण)

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिकारता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गतीभांति अवलोकन किया गया।
1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 05,18,553/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 05,35,700/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 21.05.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
1. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती पूजा कंवर एवं श्री उदल सिंह के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लेट नं. 3, ईडब्लूएस, द्वितीय तल, ब्लॉक एफ, अनुकंपा द्वारिका, खसरा संख्या 1407, 1408, 1413, 1414 बी, ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, क्षेत्रफल कारपेट एरिया 246.70 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
- आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल इफतर हो।
- आदेश आज दिनांक 10.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. नितेन्द्र कुमार सोनी)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (अन्वय) जयपुर (ग्रामीण)